

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ****आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र संख्या - 2129/2026**

हिमांशु सिंह

.....आवेदकगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अपर मुख्य सचिव, गृह, लखनऊ

.....विरोधी पक्ष

आवेदकगण के अधिवक्ता	: अनुराग सिंह राठौर, अनु कुमारी
विरोधी पक्ष के अधिवक्ता	: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 28**माननीय न्यायमूर्ति राजीव भारती**

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया, जिन्होंने अनुपूरक शपथपत्र दाखिल किया है, जिसे अभिलेख पर लिया गया है। राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को भी सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. अभियोजन पक्ष के अनुसार, दिनांक 25.10.2025 को लगभग सायं 7:45 बजे 5-6 व्यक्ति मोटरसाइकिल पर सवार होकर हत्या करने की नीयत से आए और घायल व्यक्ति पर फायरिंग की, जिससे उसके सिर एवं सीने में छर्रे की चोटें आईं।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि घायल व्यक्ति ने सुधार करते हुए विवेचक अधिकारी के समक्ष अपने बयान में केवल सामान्य आरोप लगाए हैं। वह इस बात का कोई उचित कारण नहीं बता सका कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में आवेदक का नाम क्यों नहीं लिया गया। गोली लगने से चोट पहुँचाने की विशिष्ट भूमिका सह-अभियुक्त मनदीप को सौंपी गई है। यद्यपि अनुपूरक रिपोर्ट में घायल व्यक्ति को चार छर्रे लगने की चोटें बताई गई हैं, किन्तु कोई भी चोट गंभीर नहीं पाई गई है। आवेदक ने जमानत प्रार्थना पत्र के पैरा 14 में अपने आपराधिक इतिहास का स्पष्टीकरण दिया है। आवेदक दिनांक 11.02.2026 से जेल में निरुद्ध है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

सह-अभियुक्त सूरज को जमानत आवेदन संख्या 709/2026 में पारित आदेश द्वारा जमानत प्रदान की जा चुकी है।

यह भी प्रस्तुत किया गया कि आवेदक द्वारा जमानत पर रिहा होने के बाद फरार होने अथवा गवाहों को प्रभावित करने की कोई संभावना नहीं है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया, परंतु आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके। यह प्रस्तुत किया गया कि आवेदक का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित है।

5. मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए, यह तथ्य कि आवेदक ने अपना आपराधिक इतिहास स्पष्ट किया है, आवेदक को सामान्य भूमिका सौंपी गई है, सह-अभियुक्त सूरज को जमानत आवेदन संख्या 709/2026 में पारित आदेश द्वारा जमानत प्रदान की जा चुकी है, घायल व्यक्ति को लगी चोटों की प्रकृति, गोली लगने की विशिष्ट भूमिका सह-अभियुक्त मनदीप पर है, वर्तमान आवेदक का मामला सह-अभियुक्त मनदीप से भिन्न है, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्क, आवेदक द्वारा जेल में बिताई गई अवधि तथा मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं यह पाता हूँ कि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाना उपयुक्त है।

6. आवेदक हिमांशु सिंह, जो कि मुकदमा अपराध संख्या 0404/2025, धारा 109(1), 191(2), 191(3), 61(2) बी.एन.एस., थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित है, को व्यक्तिगत मुचलका तथा समान राशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अधीन, निम्नलिखित शर्तों सहित जमानत पर रिहा किया जाए, जो न्यायहित में लगाई जा रही हैं:-

(i) आवेदक विचारण के दौरान अभियोजन साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं करेगा।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

(ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा अथवा उन्हें भयभीत नहीं करेगा।

(iii) आवेदक इस आशय का एक प्रार्थना-पत्र/प्रतिज्ञान पत्र दाखिल करेगा कि जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों, तब वह साक्ष्य हेतु नियत तिथियों पर किसी प्रकार का स्थगन नहीं मांगेगा तथा विचारण न्यायालय द्वारा नियत प्रत्येक तिथि पर उपस्थित रहेगा। यदि इस शर्त का उल्लंघन होता है, तो विचारण न्यायालय इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानते हुए विधि अनुसार आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र होगा।

विचारण न्यायालय/संबंधित न्यायालय द्वारा मामले की परिस्थितियों के अनुसार उचित समझी जाने वाली कोई अन्य शर्तें भी लगाई जा सकती हैं।

7. समता के आधार सहित, आवेदन को तदनुसार स्वीकार किया जाता है।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में की गई टिप्पणियाँ केवल वर्तमान जमानत आवेदन तक ही सीमित हैं और मुकदमे के गुण-दोष पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(न्यायमूर्ति राजीव भारती)

दिनांक : 31 मार्च, 2026

मुक

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।